न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 167/2026

मो0 मिराज उर्फ घोचा बनाम बिहार सरकार

अस्थावां थाना कांड सं0 256/2025

अंतर्गत धारा 310(4), 310(5) B.N.S & 25(1-b)a/26/35 Arms Act

06.03.2026

दिनांक 23.07.2025 से कारावासित अभियुक्त **मो0 मिराज उर्फ घोचा** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 22.07.2025 को एन एच 33 के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे तभी समय 23:05 बजे एक हरे रंग का पुराना छोटा पिकअप वाहन आ रहा था जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। अन्य सहयोगियों के मदद से उसे पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में चालक सहित आगे दो व्यक्ति तथा पीछे पांच व्यक्ति बैठे थे। नाम पता पूछने पर 1. मो. आलम बताया जिसकी तलाशी लेने पर एक कीपैड मोबाईल प्राप्त हुआ। 2. मो0 मिराज की तलाशी लेने पर कमर के पास से एक लोहे का देशी कटटा तथा दो जिंदा कारतूस एवं एक कीपैड मोबाईल प्राप्त हुआ। 3. पप्पु बक्खो की तलाशी के क्रम में की तलाशी के क्रम में बाएं कमर में खोसे लोहे का एक कटटा एवं एक जिंदा कारतूस एवं एक मोबाईल एवं 4. मो0 फुरकान उर्फ पंडित के पास एक देशी कटटा एवं दो जिंदा कारतूस तथा एक मोबाईल तथा 5. मो0 एनाम के पास से एक मोबाईल 6. मो0 झबन के पास से एक मोबाईल 7. राज कुमार साह कक्कु के पास से एक मोबाईल प्राप्त हुआ। गाड़ी के आगे का छोटा डिक्की की तलाशी लेने पर कुल दस हजार रूप्या, ग्यारह हजार छः सौ रूप्या तथा लाल रंग के छोटा पर्स में कुल बयालीस सौ रूपया एवं एक जोड़ी चांदी का पायल प्राप्त हुआ। उक्त बरामद सामान एवं आग्नेयास्त्र एवं कारतूस का कागज मांगने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। गहराई से पूछने पर उक्त लोगों ने बताया कि वह घूम–घूम कर डकैती के घटना को अंजाम देते है और कहीं कहीं चोरी भी किए है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उन्हें इस वाद में झूठे व गलत आधार पर फंसा दिया गया है । आवेदक की ओर से पूर्व में कोई भी जमानत आवेदन इस न्यायालय या किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक को आरोपित सामान से कोई संबंध नहीं है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। उनका यह भी कथन है कि उक्त धाराओं का अभियोग आवेदक के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है। इस वाद के सह–अभियुक्तों को पूर्व में इस न्यायाल द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0 1193/25, 1195/25 एवं 1304/25 के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 167/2026

मो0 मिराज उर्फ घोचा बनाम बिहार सरकार

अस्थावां थाना कांड सं0 256/2025

अंतर्गत धारा 310(4), 310(5) B.N.S & 25(1-b)a/26/35 Arms Act

लगातार

06.03.2026

आवेदक दिनांक 23.07.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः आवेदक को नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते है तथा यह स्वीकार करते हैं कि इस वाद के अन्य सह–अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा संबंधित विचारण न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक को घटनास्थल से गिरफतार किया गया है। यह भी विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध इस वाद में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है । इस वाद के सह–अभियुक्तों को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0 क्रमशः 1193/25, 1195/25 एवं 1304/25 के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक दिनांक 23.07.2025 (करीब छः माह) से न्यायिक हिरासत में है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा विशेष रूप से आवेदक के कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक को 10,000/–रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य वाले दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।